रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 23, 2008—अगस्त 29, 2008 (भाद्रपद 1, 1930)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 23, 2008—AUGUST 29, 2008 (BHADRA 1, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 1035

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 779

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 11

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1223

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 6069

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 491

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 8391

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 207

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1035

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 779

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 11

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1223

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government 6069

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... 491

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 8391

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 207

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the *Ministry* of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली 110066, दिनांक 5 जून 2008

संकल्प

सं. के-12012/5/16/2006-पी एण्ड आर-313-- दिनांक 21.12.2006 एवं 9.3.2007 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए क्रमांक--1 पर उल्लिखित गैर--सरकारी सदस्य क्रमशः श्री करनसिंह मनुभा चावडा, सी 25, भगत नगर सोसायटी, गुलाब टावर के पास, शोला रोड, अहमदाबाद--380061 (गुजरात) एवं श्री शिशुपाल सिंह, सी--51, कमला नेहरु नगर एक्सटेंशन--1, जोधपुर (राजस्थान) को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है जबकि दिनांक 8 सितम्बर, 2006 (क्रमांक 1, 3,5 एवं 7 को छोड़कर) 23 अक्तूबर, 2006, 22 एवं 27 नवम्बर, 2006, 5, 21 दिसम्बर, 2006, (क्रमांक 1 और 2 को छोड़कर) और 22 दिसम्बर, 2006 (क्रमांक 5 को छोड़कर) 5 एवं 10 जनवरी, 2007, 1 फरवरी, 2007 (क्रमांक 1 को छोड़कर) और 14 फरवरी, 2007 (क्रमांक 2,3,4,5,7,8,9 और 10 को छोड़कर) 2, मार्च, 2007 (क्रमांक 2 को छोड़कर) 7, 9 मार्च, 2007, 8 मई, 2007, (क्रमांक 2 को छोड़कर) 16 मई, 2007, 25 जुलाई, 2007, 3 और 29 अगस्त, 2007, 11 सितम्बर, 2007, 24 सितम्बर, 15 अक्तूबर, 2007, 2 नवम्बर, 2007 और 11 एवं 12 मार्च, 2008, 25 मार्च, 2008 एवं 8 मई, 2008 के संकल्प के द्वारा गठित मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर--सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे।

पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 51 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 76 सदस्य हो जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डॉ.) संदीप श्रीवास्तव
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2008

आदेश

(एन.आई.टी. अधिनियम 2007 की धारा 36 (1) के उपबंधों का प्रयोग करते हुए)

सं. एफ. 22-7/2006-टी.एस. III--

जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अगरतला, जमशेदपुर, एवं रायपुर में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में निदेशक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया अगस्त, 2006 में आरंभ कर दी थी। यह प्रक्रिया इन चयनों हेतु उस समय लागू नियमों के अनुसार अपनाई गई थी। जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 सितम्बर, 2007 के सं. 4/17/2007 ई.ओ. (एस.एम.-I) के तहत चयन प्रक्रिया मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के साथ सूचित की गई थी। तथापि, मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन की प्राप्ति से पहले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007, 15 अगस्त, 2007 से लागू किया गया था। चूंकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 17 (1) में प्रावधान है कि किसी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक की नियुक्ति विजिटर द्वारा की जाएगी, मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के पश्चात् विधि तथा न्याय मंत्रालय के विचार लिए गए कि क्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 लागू होने के कारण इन नियुक्तियों के लिए विजिटर का अनुमोदन अपेक्षित है। विधि तथा न्याय मंत्रालय का अभिमत था कि विजिटर का अनुमोदन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम अनुसार प्राप्त किया जाना चाहिए। तदनुसार राष्ट्रपति सचिवालय से प्रस्ताव को राष्ट्रपति के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की विजिटर के रूप में अनुमोदन हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था। राष्ट्रपति सचिवालय से प्रस्ताव इस नोट के साथ वापस भेज दिया गया कि नियुक्तियों में अपनाई गई चयन प्रक्रिया संगत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 के अनुसार नहीं थी तथा अनुरोध किया गया था कि उपरोक्त अधिनियम में दी गई संगत प्रक्रिया के अनुसार नया प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाए।

2. जबकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम की धारा 17 (1) में निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया विहित की गई है जो कि निम्नलिखित अनुसार है:-

"17 (1) किसी संस्थान के निदेशक व उप-निदेशक की नियुक्ति, विजिटर द्वारा सेवा के उनके द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों पर तथा उस निबंधन व शर्तों अनुसार की जाएगी जोकि सोसायटी में विधारित की गई है।"

3. जबकि विजिटर के कार्यालय से प्रस्ताव के वापस आने के बाद मंत्रालय ने मामला अपने हाथ में ले लिया तथा संविधि का प्रारूप तैयार करने की प्रकिया शुरु कर दी है, जिसमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक की चयन प्रकिया विधि को निर्धारित किया जा रहा है। तथापि, इसमें समय लग रहा है तथा नियमित निदेशक की अनुपस्थिति में अगरतला, जमशेदपुर और रायपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में काफी परेशानी हो रही है।

4. जबकि, ये संस्थान राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा बिना नियमित निदेशकों के इन्हें नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उन्हें संस्थानों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के तौर पर भी कार्य करना होता है। इसके अतिरिक्त नियुक्तियों में और देरी इन तीन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अकादमिक हित में भी नहीं है।

5. जबकि अधिनियम के प्रभावी होने से पहले मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति का अनुमोदन करने में सक्षम थी और उसने 3 निदेशकों की नियुक्ति को पहले से ही मंजूरी प्रदान कर दी थी, परन्तु कानूनी मामले विभाग से यह सलाह मांगी गई थी कि क्या मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के आधार पर अगरतला, जमशेदपुर और रायपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के तीन निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी जा सकती है?

6. जबकि विधायी विभाग ने यह राय व्यक्त की है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 2007 भविष्य लक्षी स्वरूप का होने के कारण विजिटर द्वारा निदेशकों की नियुक्ति सहित इसके प्रावधान इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से लागू होंगे जब तक कि इसमें विगत में भूत लक्षी प्रभाव से कुछ जोड़ा न गया हो अथवा कोई लक्षित संव्यवहार न हों जो इस अधिनियम में उपबंध किए गये प्रतीत नहीं होते। इस संदर्भ में चयन प्रकिया जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 के लागू होने से पूर्व शुरु की गई थी वह अधिकांशतः पूरी हो गई है और रिक्तियों के विज्ञापन के समय से विद्यमान नियमों/प्रकिया द्वारा कार्यान्वित की जा सकती है और भविष्य की नियुक्तियां, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 के प्रावधानों की शर्तों से की जाएगी। तथापि, इस अधिनियम के साथ नियुक्तियों को संगत करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, की धारा 36 के प्रावधान जो कठिनाईयों को दूर करने से संबंधित है, को लागू किया जाए।

7. इसलिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 36 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार संबंधित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक के पद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अवधि आधार पर पांच वर्ष की अवधि तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, निम्नलिखित नियुक्तियां करती हैं:-

(i)	डा. प्रोबीर कुमार बोस, प्रोफैसर मैकेनिकल इंजीनियरी विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय	निदेशक के रूप में नियुक्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
(ii)	प्रो. रजनीश श्रीवास्तव सलाहकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	निदेशक के रूप में नियुक्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर
(iii)	डा. (श्रीमती) शशि कृष्णा पाण्डेय, निदेशक, संत लौंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल	निदेशक के रूप में नियुक्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर

एन. के. सिन्हा
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2008

सं. एफ. 9-53/2005-यू. 3 -

जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को "समविश्वविद्यालय" घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि श्री बालाजी विद्यापीठ, पाण्डिचेरी जिसकी निम्नलिखित संस्थाएं हैं, से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा के अंतर्गत 'नए सिरे से' संस्था के रूप में' समविश्वविद्यालय के दर्जे की मांग की गई थी:-

(i) महात्मा गांधी चिकित्सा कालेज और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी
(ii) कस्तूरबा गांधी नर्सिंग कॉलेज, पाण्डिचेरी
(iii) इंदिरा गांधी दन्त चिकित्सा संस्थान, पाण्डिचेरी
(iv) भरतियार इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कॉलेज, कराइकल, पाण्डिचेरी

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है और दिनांक 2 जनवरी 2009 के अपने पत्र संख्या 6-53/2005 (सी.पी.पी.-I) के जरिए यह सिफारिश की है कि महात्मा गांधी चिकित्सा कालेज और अनुसंधान संस्थान को उसके मूल विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की शर्त

के अधीन समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 08.02.2008 के अपने पत्र संख्या 6-50/2005 (सी.पी.पी.-I) के जरिए इस आशय से अपनी सिफारिश को आंशिक रूप से संशोधित किया है कि यह दर्जा 'नए सिरे से' श्रेणी के तहत प्रदान किया जाए।

4. इसीलिए केन्द्र सरकार अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि श्री बालाजी विद्यापीठ, पुडुचेरी, जिसमें महात्मा गांधी चिकित्सा कालेज और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी भी शामिल है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'नए सिरे से' श्रेणी के तहत उस तारीख से जिससे महात्मा गांधी चिकित्सा कालेज और अनुसंधान संस्थान अपने संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय से असम्बद्ध कर लेगा अनंतिम रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के अन्त में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समीक्षा की शर्त के अधीन "समविश्वविद्यालय" होगा।

5. श्री बालाजी विद्यापीठ को प्रदान किए गए दर्जे की उपर्युक्त पैरा-4 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की जाने वाली वार्षिक समीक्षाओं और उन पर आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही पांच वर्ष की अवधि के बाद पुष्टि की जाएगी;

6. उपर्युक्त पैरा-4 में की गई उद्घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रमसंख्या-7 में उल्लिखित अतिरिक्त शर्तों को पूरा करने/इनका अनुपालन करने की शर्त के भी अधीन है।

7. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग श्री बालाजी विद्यापीठ या इसकी संघटक इकाई को योजनागत अथवा योजनेत्तर सहायता अनुदान प्रदान करेंगे।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 05th June 2008

RESOLUTION

No. K-12012/5/16/2006-P&R/313.— In partial modification to Resolutions of even number dated 21.12.2006 & 9.3.2007 Non-Official Members mentioned at S.No.1 **Shri Karansinh Manubha Chavda, C-25, Bhagat Nagar Society, Near Gulab Tower, Sola Road, Ahmedabad – 380061 (Gujarat)** and **Shri Shisupal Singh, C-51, Kamala Nehru Nagar Extn.-I, Jodhpur (Rajasthan)** respectively are removed from the All India Handicraft Board with immediate effect, while retaining all official and Non-Official members of existing All India Handicrafts Board constituted vide resolutions dated 08th September, 2006 (except Sl.No.1,3, 5 &7) 23rd October, 2006, 22nd November, 2006 and 27th November, 2006, 5th, 21st December, 2006 (except Sl.No.1 & 2) and 22nd December, 2006 (except Sl.5) 5th & 10th January 2007, 1st February, 2007 (except Sl.No.1) and 14th February, 2007 (except Sl.No.2,3,4,5,7,8,9 & 10), 2nd March, 2007 (except Sl.No.2), 7th & 9th March 2007, 8th May, 2007 (except Sl.No.2), 16th, May, 2007, 25th July, 2007, 3rd & 29th August, 2007, 11th September, 2007, 24th September, 15th October, 2007, 2nd November 2007, 11th, 12th & 25th March 2008 and 8th May 2008.

The present strength of the Board shall be **76** Members comprising of Chairman, **24** official Members including Member Secretary and **51** Non-official Members, in the reconstituted All India Handicrafts Board.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

(Dr.) SANDEEP SRIVASTAVA
Additional Development Commissioner (Handicrafts)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
New Delhi, the 19th July 2008

ORDER

(In exercise of provisions of Section 36 (1) of NIT Act 2007).

No. 22-7/2006 TS III—

Whereas the Ministry of Human Resource Development initiated the process of appointment to the post of Director in the National Institutes of Technology (NITs) located at Agartala, Jamshedpur and Raipur in August 2006. The procedure adopted was as per rules applicable for these selections as applicable at that time. The selection process was completed with the approval accorded by the Appointment Committee of the Cabinet (ACC) as communicated to Ministry of HRD vide DOPT's No. 4/17/2007 EO (SM II) dated 10th Sept. 2007. However, before the receipt of ACC approval, the NIT Act 2007 came in to force on the 15th August, 2007. Since Section 17(1) of the NIT Act 2007 provides that the appointment of Director of an NIT shall be made by the Visitor, opinion of the Ministry of Law & Justice was sought whether after the approval of ACC, approval of Visitor is required for these appointments in view of NIT Act 2007 having came in to force. The Ministry of Law & Justice opined that the approval of Visitor may be obtained as per

provision of the NIT Act and accordingly President's Secretariat was requested to place the proposal before the President for approval of these appointments in her capacity as Visitor to the NITs. The President's Secretariat sent back the proposal noting that the selection process employed in the appointments were not in conformity with the respective NIT Act 2007 and requested to resubmit the proposal afresh in terms of the relevant procedure laid down in the said Act.

2. Whereas the procedure for appointment of the Director is given in Section 17 (1) of the NIT Act, which is as follows:-

"17 (1) - The Director and Deputy Director of an Institute shall be appointed by the Visitor, on such terms and conditions of service and on the recommendations of a Selection Committee constituted by him in such manner, as may be prescribed by the Statutes."

3. Whereas, after the return of the proposal from the Visitor's office, Ministry has been seized of the matter and has initiated the process for drafting the Statutes, in which the procedure is being prescribed for selection process of the Director of an NIT. However, this is taking time, and the three NITs at Agartala, Jamshedpur, and Raipur are facing acute problem in day to day

administration, in the absence of a regular Director.

4. Whereas, these Institutes are of national importance and cannot remain without regular Directors in place who are to act as the Chief Executive Officers of the Institutes. Also, delaying the appointments any further, may not be in academic interest of these 3 NITs.

5. Whereas, the ACC, which was competent to approve appointments of the Directors of NITs, before the Act having come in to force and already having cleared the appointment of the 3 Directors, the advice of Department of Legal Affairs was sought whether the appointment of three Directors of NITs at Agartala, Jamshedpur and Raipur may be given effect based on the approval of ACC.

6. Whereas, the Department of Legal Affairs have opined that the NIT Act 2007, being prospective in nature, its provisions including that of appointment of Directors by Visitor would come in to effect from the date of enforcement unless some retrospectively is attached to past or pending transactions which do not appear to be available in this Act. In view of this, selection process which was initiated much prior to enforcement of NIT Act 2007 and is almost complete can be carried out with rules/procedure as existed at the time of

advertisement of vacancies and only future appointments are to be carried out in terms of the provisions of the NIT Act 2007. However, to harmonize the appointments with the provisions of the Act, provisions of section 36 of the NIT Act, which deals with Removal of Difficulties, may be invoked.

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 36(1) of the NIT Act 2007, the Central Government makes the following appointments for a period of five years purely on tenure basis, w.e.f. the date of assumption of charge of the post of the Director of respective NITs or until further orders, whichever is earlier:-

(i)	Dr. Probir Kumar Bose, Professor, Department of Mechanical Engineering, Jadavpur University.	Appointed as Director, NIT, Agartala
(ii)	Prof. Rajnish Shrivastava, Adviser I, AICTE, New Delhi.	Appointed as Director, NIT, Jamshedpur
(iii)	Dr. (Mrs) Shashi Krishna Pandey, Director, Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Longowal.	Appointed as Director, NIT, Raipur

N. K. SINHA
Joint Secy.

New Delhi, the 4th August 2008

No. F. 9-53/2005-U.3—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as a "Deemed-to-be-University".

2. And whereas, a proposal was received from Sri Balaji Vidyapeeth, Pondicherry seeking status of 'deemed-to-be-university', as A *'De Novo'* Institution, under Section 3 of the UGC Act, 1956, comprising the following institutions:

(i) Mahatma Gandhi Medical College & Research Institute, Pondicherry,
(ii) Kasturba Gandhi Nursing College, Pondicherry
(iii) Indira Gandhi Institute of Dental Science, Pondicherry; and
(iv) Bharathiyar College of Engineering & Technology, Karaikal, Pondicherry.

3. And whereas, the University Grants Commission (UGC) has examined the said proposal and vide its communications bearing No.6-50/2005 (CPP-I) dated the 2nd January, 2008 has recommended that Mahatma Gandhi Medical College & Research Institute be awarded the status of 'Deemed-to-be-University' subject to receiving no objection certificate from its parent university. Later, the UGC vide its letter No.6-50/2005(CPP-I) Dated 08.02.2008 has partially modified its recommendations to the effect that the status recommended be awarded under *De Novo* category.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby declare that Sri Balaji Vidyapeeth, Pondicherry, comprising Mahatma Gandhi Medical College & Research Institute, Pondicherry, shall be a "Deemed-to-be-University", under *'De Novo'* category, for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years with effect from the date the Mahatma Gandhi Medical College & Research Institute is disaffiliated from its affiliating university, viz., Pondicherry University, subject to a review at the end of each year by the UGC.;

5. The status conferred on Sri Balaji Vidyapeeth shall be confirmed after a period of five years only on the basis of the reviews to be conducted annually through an Expert Committee of the UGC as per para 4 above, and recommendations of the Commission thereof;

6. The declaration as made in para 4 above is also subject to fulfillment / compliance of further conditions mentioned at Sr. No.7 of the endorsement to this Notification;

7. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to Sri Balaji Vidyapeeth any of its constituent units.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008